अति अल्प कालीन निविदा आमंत्रण सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत निम्न कार्य हेतु कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर में श्रेणी–सी व डी के पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों (क0सं0–3 पर अंकित कार्य के संबंध में कम्पनी/कम्पनी के अधिकृत विक्रेताओं/डीलर) से निविदा दिनॉक–24 अक्टूबर, 2019 को अपरान्ह 12.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निर्धारित तिथि को समयान्तर्गत प्राप्त निविदाओं को दिनॉक– 24 अक्टूबर, 2019 को ही 12.30 बजे तहसील कसया सभागार/कसाडा कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। कार्य का विवरण निम्नवत् है:–

क0 सं0	कार्य स्थल/कार्य का नाम	कार्य की लं0/सं0	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम नरकटिया बुजुर्ग स्थित बुद्धा बापू उपवन में एक अदद समर सेबिल लगवाये जाने एवं पाईप लाईन का कार्य।	**350 mt.**	04.22	0.42	500.00	एक माह
2	अर्न्तराष्ट्रीय पर्यटन स्थली कुशीनगर में पर्यटन के विकास को ध्यान में रखते हुए रामाभार स्तूपा के समीप बने बुद्धा घाट पर हिृरण्यावती नदी के दूसरी ओर खड़न्जा का निर्माण कार्य।	115 घन मीटर	09.38	0.94	938.00	एक माह
3	अर्न्तराष्ट्रीय पर्यटन स्थली कुशीनगर में पर्यटन के विकास को ध्यान में रखते हुए रामाभार स्तूपा के समीप बने बुद्धा घाट पर हिृरण्यावती नदी के दूसरी ओर प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	12 नग	05.41	0.55	541.00	एक माह
4	रामाभार स्तूपा के सामने रिक्त/अनुपयुक्त पड़ी भूमि पर ओरिएन्टल गार्डेन का निर्माण कार्य।	एक नग	03.99	0.40	399.00	एक माह

नोटः– कार्य से संबंधित विस्तृत विवरण तथा नियम एवं शर्तें कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की वेबसाईट **ksadakushinagar.in/** पर उपलब्ध है। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधी समस्त सूचना उक्त वेबसाईटों पर ही उपलब्ध होगी।

निविदा की शर्तें:–

1. निविदादाता द्वारा संबंधित प्रपत्र, प्रमाण–पत्र व अभिलेख सहित कालम–5 व 6 में अंकित धनराशि से संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 व डिमाण्ड ड्राफ्ट आदि कार्यालय में नियत तिथि को नियत समय के पूर्व उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदा की फाइनेन्शियल/प्राइज बिड के साथ रू0–100/– के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर रू0–1/– का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
3. क्रमॉक–3 पर अंकित कार्य के संबंध में कम्पनी के अधिकृत विक्रेता/डिस्ट्रीब्यूटर/सप्लायर से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता के पास निर्धारित श्रेणी पंजीकृत/अनुमोदित विद्युत सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ द्वारा वर्ष 2019–2020 का विद्युत लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह नियम केवल निर्माता कम्पनी के लिए मान्य नहीं है। अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।
4. निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में, सचिव, कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर के नाम से भुगतानित, जो कि मूल

Scanned by CamScanner

रूप में निविदा प्रपत्रों के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न न होने की दशा में निविदा को **Unresponsive** मानते हुए, निविदा पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

5. निविदादाता को धरोहर धनराशि के रूप में (कॉलम–6 के अनुसार) प्राधिकरण कोष में एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के माध्यम से जमा करना होगा। धरोहर धनराशि पोस्ट ऑफिस/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत प्रतिभूति के रूप में सचिव, कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर के पक्ष में बंधक होना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी/धरोहर धनराशि के रूप में बैंक गारन्टी मान्य नहीं होगी।
6. अनुबन्ध के समय निविदादाता से इस आशय का घोंषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलैट नहीं किया जायेगा।
7. सामग्री/कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है, जिसके लिये निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
8. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी।
9. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय निविदा प्रकिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
10. निविदा कमेटी द्वारा प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले विधिवत परीक्षण किया जायेगा कि वॉछित अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता की फाइनेन्सियल बिड नहीं खोली जायेगी।
11. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी। तत्पश्चात पात्र पायी गयी निविदाओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी। जिसकी सूचना तकनीकी निविदा खोले जाने वाले दिन निविदादाताओं को उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. अनुबन्धकर्ता निविदादाता के बीजकों से नियमानुसार आयकर, लेबर सेस, जी0एस0टी0 कर एवं तत्समय अन्य प्रचलित करों की कटौती की जायेगी।
13. निविदादाता द्वारा निम्न जानकारी/अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा:–

    क. वैध पंजीयन की प्रति
    ख. विगत तीन वर्षों का बैलेन्स शीट
    ग. वर्तमान में चल रहे कार्यों की सूची।
    घ. पैन कार्ड।
    ड. संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित।
14. इस निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कसाडा, कुशीनगर के पास सुरक्षित रहेगा।
15. निविदादाता को अपनी वैद्य ई–मेल आई.डी. देना अनिवार्य होगा।
16. प्राधिकरण में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के सगे–सम्बन्धी ठेकेदार इस निविदा को खरीद एवं डाल नहीं सकते हैं, ऐसा पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रकिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
18. कोई निविदादाता, जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगा।
19. राज्य बार काउसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेंगें।
20. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

21. विशेष परिस्थिति में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

22. अनुबन्ध गठित हो जाने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

24. कार्य के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुशीनगर कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

25. फर्म को नियमानुसार अनुबन्ध निस्पादित कराना होगा।

(अभिषेक पाण्डेय)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/सचिव,
कसाडा–कुशीनगर।

कार्यालय कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर–कसया

पत्रॉक– 499 /कसाडा–2019–20, दिनॉक– 18 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अध्यक्ष, कसाडा/मण्डलायुक्त महोदय गोरखपुर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(अभिषेक पाण्डेय)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/सचिव,
कसाडा–कुशीनगर।

Scanned by CamScanner